न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोंठ, जिला झांसी।

अंतिम रिपोर्ट वाद सं0 –131/2021

जे.ओ.कोड–यू.पी.3508

उपस्थितः– अविरल उमराव (उ.प्र. न्यायिक सेवा)

शिरोमन सिंह **बनाम** **तरूण**

अं0सं0–308/2020
धारा–366 भा0दं0सं0
थाना–मोंठ,
जिला– झांसी।

दिनांकः 01.10.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया, पुकार पर वादी अनुपस्थित है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फौ0 वाद, वादी मुकदमा द्वारा तरूण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त मामले में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त यह कहते हुये अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि तमामी विवेचनात्मक कार्यवाही, बयान वादी, बयान एफ.आई.आर. लेखक, निरीक्षण के बयान तथा गोपनीय तरीके से घटना के संबंध में जानकारी करने पर घटना की सत्यता न पाये जाने के कारण विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। वादी मुकदमा को नोटिस प्रेषित किया गया, नोटिस तामील हुआ, नोटिस तामील हुआ। वादी मुकदमा के को अपना पक्ष रखने के लिये आज अन्तिम अवसर दिया गया परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद वादी मुकदमा की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही उनकी ओर से कोई स्थगन प्रस्तुत किया गया है। इस स्तर पर पीठासीन अधिकारी के आदेशानुसार पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान का लिफाफा फाड़ कर उक्त बयान का अवलोकन किया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि वह अपनी स्वेच्छा से अभियुक्त तरूण के साथ दतिया गयी थी, तथा व ह तरूण के साथ रहना चाहती है, उसके घर वाले दूसरी जाति में शादी करने के लिये राजी नहीं थे, जिस कारण उसके ताऊ द्वारा अभियुक्त तरूण के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। उक्त बयान के आधार पर विवेचक द्वारा मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। ऐसी परिस्थिति में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अविरल उमराव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोंठ, झांसी